न्यायालय कलेक्टर ज़िला आगर मालवा म.प्र.

प्रकरण क्रमांक 86/अ-20(3)/2023-24

आदेश

(दिनांक 16 नवम्बर 2024 को पारित)

--00--

प्रकरण का संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि प्राधिकृत अधिकारी स्ट्राटाटेक मिनरल रिसोर्सेस प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा आरसीएमएस पोर्टल पर आनलाईन आवेदन पत्र दिनांक 04.01.2024 को प्रस्तुत कर ग्राम धंधेडा तहसील आगर की कुल भूमि **46.48** हेक्टेयर भूमि में से **30** हेक्टेयर भूमि की मांग धिरौली कॉल ब्लाक में प्रभावित वन भूमि के एवज में वैकल्पिक वृक्षारोपण हेतु की गयी है। ग्राम धंधेडा की आवेदित भूमि का विवरण निम्नानुसार है।

क्रमांक	सर्वे क्रमांक	रकबा (हेक्टेयर में)	आवेदित रकबा (हेक्टेयर में)
1	103	25.650	20.05
2	80	0.630	0.41
3	102	6.140	4.95
4	139	14.060	4.59
	कुल किता 4	**46.48हेक्टेयर**	**30 हेक्टेयर**

2/ आनलाईन प्राप्त आवेदन की जांच उपखण्ड अधिकारी आगर-बडौद एवं नायब तहसीलदार से करवायी गयी। नायब तहसीलदार ने अपने प्रतिवेदन में उल्लेखित किया कि प्रकरण में विधिवत विज्ञप्ति जारी की गई। एच आर पंजी जावक क्रमांक 176 दिनांक 15.02.2024 को विज्ञप्ति का प्रकाशन किया गया तथा दो समाचार (दैनिक भास्कर, नईदुनिया) पत्रो में विज्ञप्ति का प्रकाशित की गई। अधीक्षण यंत्री संचा/संधा) म०प्र०प०क्ष०वि०वि० कं० लिमि० आगर वृत्त आगर, कार्यपालन यंत्री लो०नि०वि० (भ/प) संभाग आगर मालवा वन परिक्षेत्र अधिकारी आगर मालवा वनमण्डल तथा नगर परिषद कानड द्वारा भूमि आवंटन के संबंध में अनापत्ति प्रस्तुत की गयी है। कार्यालय संयुक्त संचालक नगर तथा ग्राम निवेश जिला उज्जैन को अभिमत हेतु लिखा गया था किन्तु उनकी ओर से अभिमत अप्राप्त होने से मध्यप्रदेश नजूल निर्वतन निर्देश 2020 की कण्डिका 48(2) (झ) यथा आवश्यक अन्य विभागो के जिला अधिकारियो से सामान्यतः पंद्रह दिवस की अवधि में अभिमत / परामर्श प्राप्त नहीं होता है तो यह माना जावेगा की उन्हें कोई आपत्ति नहीं है। अतः कण्डिका अनुसार उक्त विभागो को कोई आपत्ति नहीं है।ग्राम पंचायत चकबडाबीड की ओर से दिनांक 10.06.2024 को ठहराव प्रस्ताव पारित किया जाकर आपत्ति ली गयी। प्रकरण में पटवारी ग्राम धंधेडा तहसील आगर जिला आगर मालवा के द्वारा (प्रारूप -5) में जांच रिपोर्ट प्रस्तुत कर बताया कि ग्राम धंधेडा के सर्वे नं. 103 (गोचर) कुल रकबा 25.65 हे. गोचर मिसल बंदोबस्त में दर्ज है। वर्तमान खसरा अभिलेख में सर्वे नं. 103 रकबा 25.65 हे. गोचर भूमि के रूप में दर्ज है। साथ ही प्रतिवेदित किया गया कि अंतिम हस्त लिखित खसरा अनुसार सर्वे नं. 103, 5 बंटाकनों में विभाजित है, जिसमें से सर्वे नं. 103/2 गोठान, 103/3 शमशान, 103/4 कब्रिस्तान, की भूमि होने से आवंटन के लिए अनउपयुक्त है तथा सर्वे क्रमांक 103/5 रकबा 19.05 हे. में से रकबा 8.00 हे. पर तालाब है, जिसके कारण भूमि आवंटन के अनउपर्युक्त है, उपरोक्त सर्वे नं. 103/5 में से केवल 11.05 हे. भूमि आवंटन हेतु उपयुक्त है। सर्वे नं. 103/1 रकबा 4.45 हे. गोचर मद में दर्ज है। जिसमें से केवल 3.78 हे. भूमि आवंटित हेतु उपर्युक्त है क्योंकि यदि संपूर्ण रकबा आवंटित किया जाता है तो ग्राम में दो प्रतिशत

चरनोई का सुरक्षित रकबा प्रभावित होता है। सर्वे नं. 80 कुल रकबा 0.63 हे. में से 0.41 , 102 रकबा 6.14 हे. में से 4.95हे., 139 रकबा 14.06 में से 3.63 हे. भूमि आवंटन हेतु उपयुक्त है। इस प्रकार ग्राम धंधेडा की कुल आवेदित भूमि 30.00 हे. में से आवेदित संस्था को 23.82 हे. भूमि आवंटित किया जाना उपयुक्त है।ग्राम धंधेडा मे निजी भूमि का क्षेत्रफल 103.74 हे. शासकीय भूमि का क्षेत्रफल 118.83 कुल ग्राम का क्षेत्रफल 222.57 हे. है, अंतिम हस्तलिखित खसरे के अनुसार गोचर का कुल क्षेत्रफल 5.87 है. है, दो प्रतिशत के मान से आवश्यक गोचर का क्षेत्रफल 2.0748 है। यदि 103/1 रकबा 4.45 गोचर हेतु आवंटित होता है तो चरनोई का 2 प्रतिशत रकबा कम हो जायेगा। 2 प्रतिशत चरनोई के रकबे के लिए 0.67 हे. रकबा कम पड़ रहा है अतः 103/1 रकबा 4.45 मेसे 0.67 है. गोचर के लिए आरक्षित छोडकर आवंटित किया जाता है तो 2 प्रतिशत चरनोई प्रभावित नही होगी। कलेक्टर गाईड लाईन वर्ष 2024-25 के अनुसार ग्राम धंधेडा की सिचित भूमि 9,28,000 /- नौ लाख अठाईस हजार प्रति हे. के मान से है, आवंटन हेतु कुल प्रस्तावित 23.82 हे. भूमि का बाजार मूल्य म.प्र. शासन राजस्व विभाग भोपाल के ज्ञाप क्रमांक एफ-6-101/2019 /सात-3 के पैरा क्रमांक 05 के अनुसार बाजार मूल्य के 1.6 गुणा सिचिंत कृषि भूमि के बराबर राशि के मान से निर्धारण 3,53,67,936/- (तीन करोड तिरपन लाख सरसठ हजार नौ सौ छत्तीस रूपये) होता है। प्रकरण में ग्राम पंचायत चकबडाबीड द्वारा आपत्ति पेश की गई। किंतु आपत्ति में किस बाबत् आपत्ति है का उल्लेख नही किया गया है। अतः आपत्ति निराधार/ओचित्तहीन है। नायब तहसीलदार कानड द्वारा ग्राम धंधेडा तहसील आगर स्थित भूमि सर्वे क्र. 80 रकबा 0.63 में से 0.41 102 रकबा 6.14 में से4.95, 103 रकबा 25.65 में से 14.83 हे., 139 रकबा 14.06 में से 3.63 हे. कुल रकबा 46.48 में से 23.82 हे. कुल किता 4 कुल रकबा 23.82 हेक्टेयर भूमि वन विभाग को वैकल्पिक वृक्षारोपण प्रयोजनार्थ आवंटन किये जाने हेतु अनुशंसा सहित प्रकरण उपखण्ड अधिकारी आगर-बडौद को प्रेषित किया गया। उपखण्ड अधिकारी आगर-बडौद ने नायब तहसीलदार के प्रतिवेदन से सहमत होते हुए प्रकरण इस न्यायालय को प्रेषित किया गया।

3/ जिला नजूल निर्वर्तन समिति की बैठक दिनांक 07.10.2024 . को आयोजित की गयी। समिति द्वारा प्रकरण का अवलोकन किया गया। जिसमें ग्राम धंधेडा तहसील आगर स्थित भूमि सर्वे क्र. 80 रकबा 0.63 में से 0.41 102 रकबा 6.14 में से4.95, 103 रकबा 25.65 में से 14.83 हे., 139 रकबा 14.06 में से 3.63 हे. कुल रकबा 46.48 में से 23.82 हे. कुल किता 4 कुल रकबा 23.82 हेक्टेयर भूमि को धिरौली कॉल ब्लाक में प्रभावित वन भूमि के एवज में वन विभाग को वैकल्पिक वृक्षारोपण हेतु आवंटित किये जाने का निर्णय सर्वसम्मति से लिया गया।

4/ ग्राम पंचायत चकबडाबीड द्वारा उनके पत्र दिनांक 10.06.2024 से आयोजित ग्राम सभा के निर्णय अनुसार भूमि आवंटन के संबंध में असहमति प्रदान की गयी है। ग्राम पंचायत की आपत्ति का अवलोकन किया गया। ग्राम पंचायत द्वारा ली गयी आपत्ति में कोई ठोस कारण नहीं है जिससे की सहमत हुआ जा सकें अत: ग्राम पंचायत द्वारा ली गयी आपत्ति निराधार होने से निरस्त की जाती है।

5/ मेरे द्वारा प्रकरण का अवलोकन किया गया। प्रकरण जिला नजूल निर्वर्तन समिति की बैठक दिनांक 07.10.2024 में भूमि आवंटन की अनुशंसा किये जाने, उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) आगर-बडौद एवं नायब तहसीलदार प्रतिवेदन के आधार पर ग्राम धंधेडा तहसील आगर स्थित भूमि सर्वे क्र. 80 रकबा 0.63 में से 0.41 102 रकबा 6.14 में से4.95, 103 रकबा 25.65 में से 14.83 हे., 139 रकबा 14.06 में से 3.63 हे. कुल रकबा 46.48 में से 23.82 हे. कुल किता 4 कुल रकबा 23.82 हेक्टेयर भूमि को मध्य प्रदेश भू-राजस्व संहिता 1959 की

धारा 237 के प्रावधान के तहत उसके वर्तमान प्रयोजन से कम किया जाकर **वैकल्पिक वृक्षारोपण** प्रयोजन हेतु **वन विभाग को** मध्यप्रदेश नजूल भूमि निर्वर्तन निर्देश, 2020 के निर्देश 8 (7) के प्रावधान के तहत प्राधिकृत अधिकारी स्ट्राटाटेक मिनरल रिसोर्सेस प्राइवेट लिमिटेड द्वारा मध्यप्रदेश शासन राजस्व विभाग मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल के परिपत्र क्रमांक अनुसार ग्राम धंधेडा तहसील आगर स्थित कुल किता 4 कुल रकबा 46.48 में से 23.82 हेक्टेयर पर म.प्र. शासन राजस्व विभाग भोपाल के ज्ञाप क्रमांक एफ-6-101/2019 /सात-3 दिनांक 05.01.2021 के पैरा क्रमांक 05 के अनुसार बाजार मूल्य के 1.6 गुणा सिंचित कृषि भूमि के बराबर राशि के मान से निर्धारण 3,53,67,936/- (तीन करोड तिरपन लाख सरसठ हजार नौ सौ छत्तीस रूपये) जमा किये जाने की शर्त पर निम्नानुसार शर्तो के साथ हस्तांतरित की जाती है :-

1. विभाग को किसी भी निर्माण के पूर्व नगर तथा ग्राम निवेश विभाग से स्थल अनुमति एवं स्थानीय ग्राम पंचायत से बिल्डिंग अनुमति प्राप्त करना होगी।
2. विभाग यदि 02 वर्ष में उक्त आबंटित भूमि का उपयोग नहीं करता है तो उक्त भूमि को बगैर किसी सूचना के पूर्ववत शासन मद में दर्ज कर लिया जावेगा।
3. भूमि का उपयोग **वैकल्पिक वृक्षारोपण** प्रयोजन हेतु ही उपयोग किया जा सकेंगा, अन्यथा प्रयोजन में भूमि का उपयोग किये जाने की दशा में यह आदेश स्वतः निरस्त माना जावेंगा।
4. हस्तांतरित भूमि पर निर्माण के समय जल संर्वधन एवं पर्यावरण संरक्षण के नियमों का पालन किया जाना होंगा।

उपरोक्त शर्तो का उल्लंघन होने की दशा में यह भूमि हस्तांतरण आदेश स्वतः शून्यवत हो जावेंगा।

6/ नायब तहसीलदार कानड, की ओर आदेशानुसार हस्तांतरित भूमि के संबंध में निर्धारित राशि जमा किये जाने के उपरांत ही प्रविष्टि अभिलेख में अंकित करावें तथा खसरा नकल इस न्यायालय को भिजवायें।

R-liny 16/11/24

(राघवेन्द्र सिंह)

कलेक्टर

जिला आगर मालवा म.प्र.

क्रमांक/रीडर/2024/439 आगर मालवा, दिनांक 16/11/2024

प्रतिलिपि :-

1. वनमण्डलाधिकारी वनमण्डल शाजापुर की ओर सूचनार्थ।
2. उपखण्ड अधिकारी(राजस्व) आगर-बडौद।
3. प्राधिकृत अधिकारी स्ट्राटाटेक मिनरल रिसोर्सेस प्राइवेट लिमिटेड की ओर सूचनार्थ।
4. अधीक्षक, भू-अभिलेख जिला आगर मालवा की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु।
5. नायब तहसीलदार कानड, की ओर भेजकर लेख है कि आदेश का राजस्व अभिलेख में अमल निर्धारित राशि जमा कराये जाने के उपरांत किया जावें तथा खसरा नकल इस न्यायालय को भिजवायें।

R-liny 16/11/24

कलेक्टर

जिला आगर मालवा म.प्र.

मध्यप्रदेश कम्प्यूटरीकृत भू-अभिलेख

खसरा

प्ररूप एक (नियम 6 देखिए)

मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता (भू-सर्वेक्षण तथा भू-अभिलेख) नियम, 2020

specimen copy

ग्राम:धंधेड़ा			पटवारी हल्का:चकबड़ाबीड़			तहसील:आगर			जिला:आगर-मालवा		वर्ष: 2024-2025
भूमि के भाग की यूनिक आईडी	भूमि के भाग का प्रकार (सर्वेक्षण संख्यांक/ ब्लॉक संख्यांक)	भू-खण्ड संख्यांक(ब्लॉक की दशा में)	1. क्षेत्रफल (हेक्टेयर/वर्ग मीटर में) 2. भूमि उपयोग जिसके लिए निर्धारण किया गया है 3. भू-राजस्व/ भू-भाटक (रु में)	1. भूमिस्वामी का नाम, उसकी माता/पिता/पति का नाम तथा निवास का पता 2. शासकीय भूमि	प्रत्येक भूमिस्वामी का अंश	1. सरकारी पट्टेदार का नाम, उसकी माता/ पिता/ पति का नाम तथा निवास का पता 2. पट्टे की अवधि 3. पट्टे के अधीन क्षेत्र	मौरुषी कृषक (यदि कोई हो) का नाम, उसकी माता/ पिता/ पति का नाम तथा निवास का पता	भूमि पर विल्लंगम तथा प्रभार 1. बंधक 2. दृष्टिबंधक 3. भू-अर्जन प्रक्रियाधीन	फसल के ब्यौरे फसल 1. खरीफ 2. रबी 3. जायद 4. अन्य	फसल के अधीन क्षेत्रफल	1. भूमि के सिंचाई संबंधी प्रास्थिति 2. भूमि पर संरचना /वृक्ष 3. अन्य अभियुक्तियाँ 4. वर्ष के दौरान कॉलम संख्या (1) से (9) तक में प्रविष्टियों में सुधार के आदेश
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1612545131 81K7KTD939RNH0	80/2 (S)		0.4100 हेक्टेयर रु.0.00	(शासकीय) वन विभाग मध्यप्रदेश शासन शासकीय संस्था	1						न्यायालय कलेक्टर के प्रकरण क्र. 0086/ अ-20(3)/2023-24, आदेश दि. 16/11/2023 के अनुसार भू-अभिलेख अद्यतित ।

नोट :-

1. यह प्रपत्र केवल प्रार्थी की जानकारी के लिये है ।
2. इसका उपयोग किसी भी न्यायालय में साक्ष्य के रूप में नही किया जा सकता है ।
3. डिजिटली साइंड कॉपी के लिए लोक सेवा केंद्र से, एम. पी. ऑनलाइन से अथवा ऑनलाइन आवेदन करें ।
4. प्रविष्टियों में सुधार/संशोधन हेतु संबंधित जिला/तहसील कार्यालय में संपर्क करें ।

प्रिंट

मध्यप्रदेश कम्प्यूटरीकृत भू-अभिलेख

खसरा

प्ररूप एक (नियम 6 देखिए)

मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता (भू-सर्वेक्षण तथा भू-अभिलेख) नियम, 2020

ग्राम:धंधेड़ा			पटवारी हल्का:चकबड़ाबीड़			तहसील:आगर			जिला:आगर-मालवा		वर्ष: 2024-2025
भूमि के भाग की यूनिक आईडी	भूमि के भाग का प्रकार (सर्वेक्षण संख्यांक/ ब्लॉक संख्यांक)	भू-खण्ड संख्यांक(ब्लॉक की दशा में)	1. क्षेत्रफल (हेक्टेयर/वर्ग मीटर में) 2. भूमि उपयोग जिसके लिए निर्धारण किया गया है 3. भू-राजस्व/ भू-भाटक (रु. में)	1. भूमिस्वामी का नाम, उसकी माता/पिता/पति का नाम तथा निवास का पता 2. शासकीय भूमि	प्रत्येक भूमिस्वामी का अंश	1. सरकारी पट्टेदार का नाम, उसकी माता/ पिता/ पति का नाम तथा निवास का पता 2. पट्टे की अवधि 3. पट्टे के अधीन क्षेत्र	मौरुषी कृषक (यदि कोई हो) का नाम, उसकी माता/ पिता/ पति का नाम तथा निवास का पता	भूमि पर विल्लंगम तथा प्रभार 1. बंधक 2. दृष्टिबंधक 3. भू-अर्जन प्रक्रियाधीन	फसल के ब्यौरे फसल 1. खरीफ 2. रबी 3. जायद 4. अन्य	फसल के अधीन क्षेत्रफल	1. भूमि के सिंचाई संबंधी परिस्थिति 2. भूमि पर संरचना /वृक्ष 3. अन्य अभियुक्तियाँ 4. वर्ष के दौरान कॉलम संख्या (1) से (9) तक में प्रविष्टियों में सुधार के आदेश
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1612545107 81K89JD93D6YH0	102/2 (S)		4.9500 हेक्टेयर रु.0.00	(शासकीय) वन विभाग मध्यप्रदेश शासन शासकीय संस्था	1						न्यायालय कलेक्टर के प्रकरण क्र. 0086/ अ-20(3)/2023-24, आदेश दि. 16/11/2023 के अनुसार भू-अभिलेख अद्यतित ।

specimen copy

नोट :-
1. यह प्रपत्र केवल प्रार्थी की जानकारी के लिये है |
2. इसका उपयोग किसी भी न्यायालय में साक्ष्य के रूप में नही किया जा सकता है |
3. डिजिटली साइंड कॉपी के लिए लोक सेवा केंद्र से, एम. पी. ऑनलाइन से अथवा ऑनलाइन आवेदन करें |
4. प्रविष्टियों में सुधार/संशोधन हेतु संबंधित जिला/तहसील कार्यालय में संपर्क करें |

प्रिंट

मध्यप्रदेश कम्प्यूटरीकृत भू-अभिलेख

खसरा

प्ररूप एक (नियम 6 देखिए)

मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता (भू-सर्वेक्षण तथा भू-अभिलेख) नियम, 2020

ग्राम:धंधेड़ा			पटवारी हल्का:चकबड़ाबीड़			तहसील:आगर			जिला:आगर-मालवा		वर्ष: 2024-2025
भूमि के भाग की यूनिक आईडी	भूमि के भाग का प्रकार (सर्वेक्षण संख्यांक/ ब्लॉक संख्यांक)	भू-खण्ड संख्यांक(ब्लॉक की दशा में)	1. क्षेत्रफल (हेक्टेयर/वर्ग मीटर में) 2. भूमि उपयोग जिसके लिए निर्धारण किया गया है 3. भू-राजस्व/ भू-भाटक (रु. में)	1. भूमिस्वामी का नाम, उसकी माता/पिता/पति का नाम तथा निवास का पता 2. शासकीय भूमि	प्रत्येक भूमिस्वामी का अंश	1. सरकारी पट्टेदार का नाम, उसकी माता/ पिता/ पति का नाम तथा निवास का पता 2. पट्टे की अवधि 3. पट्टे के अधीन क्षेत्र	मौरुषी कृषक (यदि कोई हो) का नाम, उसकी माता/ पिता/ पति का नाम तथा निवास का पता	भूमि पर विल्लंगम तथा प्रभार 1. बंधक 2. दृष्टिबंधक 3. भू-अर्जन प्रक्रियाधीन	फसल के ब्यौरे फसल 1. खरीफ 2. रबी 3. जायद 4. अन्य	फसल के अधीन क्षेत्रफल	1. भूमि के सिंचाई संबंधी प्रास्थिति 2. भूमि पर संरचना /वृक्ष 3. अन्य अभियुक्तियाँ 4. वर्ष के दौरान कॉलम संख्या (1) से (9) तक में प्रविष्टियों में सुधार के आदेश
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1612796016 81KA67D93BJCH0	103/6 (S)		14.8300 हेक्टेयर रु.0.00	(शासकीय) वन विभाग मध्यप्रदेश शासन शासकीय संस्था	1						न्यायालय कलेक्टर के प्रकरण क्र. 0086/ अ-20(3)/2023, आदेश दि. 16/11/2023 के अनुसार भू-अभिलेख अद्यतित I

specimen copy

नोट :-

1. यह प्रपत्र केवल प्रार्थी की जानकारी के लिये है I
2. इसका उपयोग किसी भी न्यायालय में साक्ष्य के रूप में नही किया जा सकता है I
3. डिजिटली साइंड कॉपी के लिए लोक सेवा केंद्र से, एम. पी. ऑनलाइन से अथवा ऑनलाइन आवेदन करें I
4. प्रविष्टियों में सुधार/संशोधन हेतु संबंधित जिला/तहसील कार्यालय में संपर्क करें I

प्रिंट

मध्यप्रदेश कम्प्यूटरीकृत भू-अभिलेख

खसरा

प्ररूप एक (नियम 6 देखिए)

मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता (भू-सर्वेक्षण तथा भू-अभिलेख) नियम, 2020

specimen copy

ग्राम:धंधेड़ा			पटवारी हल्का:चकबड़ाबीड़			तहसील:आगर			जिला:आगर-मालवा		वर्ष: 2024-2025
भूमि के भाग की यूनिक आईडी	भूमि के भाग का प्रकार (सर्वेक्षण संख्यांक/ ब्लॉक संख्यांक)	भू-खण्ड संख्यांक(ब्लॉक की दशा में)	1. क्षेत्रफल (हेक्टेयर/वर्ग मीटर में) 2. भूमि उपयोग जिसके लिए निर्धारण किया गया है 3. भू-राजस्व/ भू-भाटक (रु. में)	1. भूमिस्वामी का नाम, उसकी माता/पिता/पति का नाम तथा निवास का पता 2. शासकीय भूमि	प्रत्येक भूमिस्वामी का अंश	1. सरकारी पट्टेदार का नाम, उसकी माता/ पिता/ पति का नाम तथा निवास का पता 2. पट्टे की अवधि 3. पट्टे के अधीन क्षेत्र	मौरुषी कृषक (यदि कोई हो) का नाम, उसकी माता/ पिता/ पति का नाम तथा निवास का पता	भूमि पर विल्लंगम तथा प्रभार 1. बंधक 2. दृष्टिबंधक 3. भू-अर्जन प्रक्रियाधीन	फसल के ब्यौरे फसल 1. खरीफ 2. रबी 3. जायद 4. अन्य	फसल के अधीन क्षेत्रफल	1. भूमि के सिंचाई संबंधी प्रास्थिति 2. भूमि पर संरचना /वृक्ष 3. अन्य अभियुक्तियाँ 4. वर्ष के दौरान कॉलम संख्या (1) से (9) तक में प्रविष्टियों में सुधार के आदेश
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1612545153 81K8M7D93EPQH0	139/2 (S)		3.6300 हेक्टेयर रु.0.00	(शासकीय) वन विभाग मध्यप्रदेश शासन शासकीय संस्था	1						न्यायालय कलेक्टर के प्रकरण क्र. 0086/ अ-20(3)/2023-24, आदेश दि. 16/11/2024 के अनुसार भू-अभिलेख अद्यतित ।

नोट :-

1. यह प्रपत्र केवल प्रार्थी की जानकारी के लिये है ।
2. इसका उपयोग किसी भी न्यायालय में साक्ष्य के रूप में नही किया जा सकता है ।
3. डिजिटली साइंड कॉपी के लिए लोक सेवा केंद्र से, एम. पी. ऑनलाइन से अथवा ऑनलाइन आवेदन करें ।
4. प्रविष्टियों में सुधार/संशोधन हेतु संबंधित जिला/तहसील कार्यालय में संपर्क करें ।

प्रिंट